

# कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 6783/12-1 गोपेश्वर, दिनांक 20 जून 2016

सेवा में,  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,  
देहरादून।  
द्वारा- निदेशक/वन संरक्षक, गन्दादेवी वन्यजीव रिजर्व गोपेश्वर।  
विषय:- बूगीधार बहुवाण - महलचौरी मोटर मार्ग के किमी 0.25 से रयूणी तल्ली तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।  
महोदय, विषयोंकित प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	Short narrative of the project does not give adequate information in Part I.	Part 1 के Column A-1(iii) में upload किया गया है।
2	Total period for which forest land to be diverted is not mentioned in Part I.	Part 1 के Column A-1(x) में संशोधन कर upload किया गया है।
3	The authority letter is not uploaded in favour of applicant in Part I.	Part 1 के Column A-3(xvii) में संशोधन कर upload किया गया है।
4	GPS coordinate marked digitally on GIS software generated georeferenced map for the area proposed for diversion in 200-300m distance and each turn of the proposed road and be uploaded in the designated place in Part I.	Part 1 के Column c (iv) में upload किया गया है।
5	GPS coordinate marked digitally on georeferenced map for every corner of land proposed for CA not provided It should be uploaded in the designated place in Part I.	Part 1 के Column L (v&vi) में upload किया गया है।
6	CA stipulation is not commensurate with the total forest land diverted in the district in Part II need justification and correction.	प्रभाग के अन्तर्गत 1031.955 है० वन भूमि हस्तान्तरित की गई है जिसमें सापेक्ष वर्ष 2008 से पूर्व 434.32 है० वनीकरण किया गया है। शेष वनीकरण कार्य करने हेतु धनराशि की माँग की गई है। धनराशि प्राप्त होते ही अवशेष क्षतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाएगा।
7	The 61 trees per hectare do not account for 0.5 density and the NPV calculation is also done for very dense forest which needs review. The State Govt may review the density and NPV and furnish revised density and NPV calculation	NPV के घनत्व को Part II में सही संशोधित कर अपलोड किया गया है। (संलग्न)
8	Working plan prescription provided is not clear in Part II	निदेशानुसार सही किया गया है।
9	The area proposed for diversion is prone to soil erosion and land slide but not mitigative measures to be taken during construction of road is provided in the proposal	मू. क्षरण की रोकथाम के लिए रु. 35.00 लाख का आगणन किया गया है।
10	The comments of DFO on impacts of construction of road on rare/endangered wildlife species in the area and mitigative measures to be taken may be furnished.	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु याचित भूमि सिविल एव पंचायती है। क्षेत्र में गुलदार इत्यादि का प्रभाव नगण्य है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
11	Part I, II, III, IV and V which is provided in online web portal for the proposal is not enclosed with the hard copy	Part II के Additional information Details में upload किया गया है।

वर्तमान में मोटर मार्ग न होने से क्षेत्र विकास में बहुत पिछड़ा है, वहाँ बसी जनसंख्या का ना ही सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हो पाया है। सामान्य दैनिक कार्यों हेतु भी ग्रामीणों को 5-6 किमी० की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। अस्वस्थता तथा महिलाओं को प्रसव आदि की स्थिति में मोटर मार्ग न होने के कारण समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसे उनके जीवन का संकट उत्पन्न हो जाता है। मोटर मार्ग निर्माण में जनहित में आवश्यक है, जिसकी संस्तुति की जाती है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा भवदीया,

करे।

(नीतू लक्ष्मी एम०)


उप वन संरक्षक,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:—जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसेण में बूगीधार— बछवावाण मेंहलचौरी के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007—एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:—

- 1— इको-क्लास की श्रेणी..... V
- 2— हरियाली का धनत्व.....0.2
- 3—एन०पी०वी० की दर .....6,57,000.00
- 4—आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....2.73 है०
- 5—कुल देय एन०पी०वी०.....रु० 17,93,000.00

  
(नीतू लक्ष्मी एम०)  
उप वन संरक्षक,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।